

निर्णय बईजलास डॉ0भारती दीक्षित आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न० 21/पा०पत्र/22

राज०सरकार
बनाम
केदार वगे०

प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 21/2022 थाना भालता
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 क राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का
प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन
संख्या एम.पी. 39 जी 3335

उपस्थित:- श्री विनोद जैन, अभिभाषक प्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन



-: निर्णय :-

दिनांक: 05.05.2022

कमल सिंह आ० रंगलाल तंवर नि० देहरा थाना राजगढ़ जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा०पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना भालता द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन एम.पी. 39 जी 3335 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन पुलिस थाना में अत्यधिक समय तक खड़ा रहने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा०पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन एम.पी. 39 जी 3335 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जप्त किया गया है। जप्त वाहन बोलरो पिकअप एम.पी. 39 जी 3335 में 05 गौवंश टूस टूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना अंकन किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौरान बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक वाहन बोलरो पिकअप एम.पी. 39 जी 3335 को पुलिस द्वारा दिनांक 15.01.2022 को जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से गोवंश का परिवहन कृषि कार्य हेतु किया जा रहा था प्रा०पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।


जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्ति किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम है। जप्त ट्रक का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन एम.पी. 39 जी 3335 में 05 गोवंश टूस टूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना अकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः गोवंश का निर्दयतापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही पिकअप वाहन में ठसाठस भरकर 05 गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टी करता है। राजस्थान विधान मण्डल द्वारा नवम्बर 2019 में राज0गोवंश अधि0 1995 में सशोधन कर नई धारा 6 'क' अन्तःस्थापित (Embedded) कर प्रवहन के साधन का अधिहरण (Confiscation) का प्रावधान गोवंश के अपराधों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।

अतः विधिक प्रावधानों के मन्वयानुसार प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना भालता द्वारा प्र.सुरि.स. 21/2022 में जप्त वाहन बोलरो पिकअप एम.पी. 39 जी 3335 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना भालता को जप्त वाहन बोलरो पिकअप एम.पी. 39 जी 3335 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्ज निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना भालता का निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक: 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० गारुती दीक्षित)
जिला कलक्टर
आस्थावादी